

# महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष)

## अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 14)

[22 अप्रैल, 2013]

महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और  
लैंगिक उत्पीड़न के परिचादी के निवारण तथा  
प्रतितोषण और उससे संबंधित या उसके  
अनुसंगिक विषयों का उपबंध  
करने के लिए  
अधिनियम

लैंगिक उत्पीड़न के परिणामस्वरूप भारत के सविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के अधीन समता तथा सविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और गरिमा से जीवन व्यतीत करने के किसी महिला के मूल अधिकारों और किरी वृत्ति का व्यवसाय करने या कोई उपजीविका, व्यापार या कारबार करने के अधिकार का, जिसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित कामावरण का अधिकार भी है, उत्पन्न होता है;

और, लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर करने संबंधी अभिसमय जैसे अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों और जित्तों द्वारा सर्वव्यापी मान्यताप्राप्त ऐसे मानवाधिकार हैं, जिनका भारत सरकार द्वारा 25 दून, 1993 को अनुसमर्थन किया गया है;

और, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण के लिए उक्त अभिसमय को प्रभावी करने के लिए उपबंध करना आवश्यक है;

भारत गणराज्य के बीसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो —

### अध्याय 1

### प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिमूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएँ—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(अ) "अपेक्षित महिला" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) किसी कार्यस्थल के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, चाहे नियोजित है या नहीं, जो पत्न्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के करने का अभिकथन करती है;

(ii) किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, जो उसे किसी निवास स्थान या गृह में नियोजित है

(ब) "सम्बन्धित सरकार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) उस कार्यस्थल के संबंध में जो,—

(अ) केन्द्रीय सरकार या सघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई विधियों द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित है, केन्द्रीय सरकार

(आ) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई विधियों द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित है, राज्य सरकार,

(ii) उपखंड (1) के अंतर्गत न आने वाले और उसके राज्यक्षेत्र के भीतर आने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में राज्य सरकार

(ग) "अध्यक्ष" से धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट स्थानीय परिवार समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है,

(घ) "किमा अधिकारी" से धारा 5 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है,

(ङ) "घरेलू कर्मकार" से ऐसी कोई महिला अभिप्रेत है जो किसी गृहस्थी में पारिवारिक के लिए गृहस्थी का कार्य करने के लिए, चाहे सकल या अंशरूप में, या तो मीठे या किसी अधिकरण के माध्यम से अस्थायी, स्थायी प्रशासनिक या औद्योगिक आधार पर नियोजित है किंतु इसके अंतर्गत नियोजक के कुटुंब का कोई सदस्य नहीं है,

(च) "कर्मचारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के लिए या तो मीठे या किसी अधिकार के माध्यम से, जिसके अंतर्गत कोई ठेकेदार भी है, प्रधान नियोजक की जानकारी में या उसके बिना, नियमित, अस्थायी, तदर्थ या दैनिक मजदूरी के आधार पर, चाहे पारिवारिक पर या उसके बिना, नियोजित है या स्वीच्छक आधार पर या अन्यथा कार्य कर रहा है, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त या विवक्षित है या नहीं और इसके अंतर्गत कोई महकमकार, कोई सचिवालय कर्मकार, परिसीसाधीन, शिक्षु, प्रशिक्षु या ऐसे किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई व्यक्ति भी है,

(छ) "नियोजक" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट के संबंध में, उस विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट का प्रधान या ऐसा अन्य अधिकारी जो, यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ii) उपखंड (i) के अंतर्गत न आने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में, कार्यस्थल के प्रबंध, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "प्रबंध" के अंतर्गत ऐसे संगठन के लिए नीतियों की विनिर्दिष्टि और प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या बोर्ड या समिति भी है;

(iii) उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अंतर्गत आने वाले कार्यस्थल के संबंध में, अपने कर्मचारियों के संबंध में सचिवालयक सहायताओं का निर्वहन करने वाला व्यक्ति;

(iv) किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में, ऐसा कोई व्यक्ति या गृहस्थी, जो ऐसे नियोजित कर्मकार की संख्या, समयबद्धि या प्रकार या नियोजन की प्रकृति या घरेलू कर्मकार द्वारा निष्पादित कार्यकलापों का विचार किए बिना, घरेलू कर्मकार को नियोजित करता है या उसके नियोजन से फायदा प्राप्त करता है,

(क) "आंतरिक समिति" से धारा 4 के अधीन गठित आंतरिक परिवार समिति अभिप्रेत है,

(ख) "स्थानीय समिति" से धारा 6 के अधीन गठित स्थानीय परिवार समिति अभिप्रेत है,

(ग) "सदस्य" से, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति का कोई सदस्य अभिप्रेत है,

(घ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,

(ङ) "रीटामीन अधिकारी" से धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया गया आंतरिक परिवार समिति का रीटामीन अधिकारी अभिप्रेत है,

(च) "अनुसूची" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध व्यक्ति महिला से धारा 9 के अधीन कोई परिवार किया है,

(छ) "वैजिक उत्पीड़न" के अंतर्गत निम्नलिखित कोई एक या अधिक अवाञ्छनीय कार्य या व्यवहार चाहे प्रत्यक्ष रूप में या विवक्षित रूप से हैं, अर्थात्—

(i) शारीरिक संपर्क और अश्लेषण, या

(ii) वैजिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना, या

(iii) वैजिक अशुभ छापणियां करना, या

(iv) अश्लील साहित्य दिखाना, या

(v) वैजिक प्रकृति का कोई अन्य अवाञ्छनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना,

संबंधित  
नाम  
२

(i) ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट, जो समुचित सरकार या स्वामीय प्राधिकरण या किसी सरकारी कम्पनी या निगम या मूठकारी मोबाइली द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या पूर्णतः या आंशिकतः, उसके द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई विधियों द्वारा विलपोषित की जाती है,

(ii) कोई प्राइवेट सेक्टर संगठन या किसी प्राइवेट उद्यम, उपक्रम, उद्यम, संस्था, स्थापन, मोबाइली, निगम, सैन्य-सहायकी संगठन, यूनिट या सेवा प्रदाता, जो बाणिज्यिक, वृत्तिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजक, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवाएं या वित्तीय क्रियाकलाप करता है, जिनके अंतर्गत उत्पादन, प्रदाता, विक्रय, वितरण या सेवा भी है,

(iii) अस्पताल या परिचर्या गृह;

(iv) प्रशिक्षण, खेलकूद या उनमें संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त, कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेलकूद प्रवेश या प्रतिस्पर्धी या क्रीडा का स्थान, चाहे आचामीय है या नहीं,

(v) नियोजन से उद्भूत या उसके पत्रक के दौरान कर्मचारी द्वारा परिवर्तित कोई स्थान जिनके अंतर्गत ऐसी वाचा करने के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी है;

(vi) कोई निवास स्थान या कोई गृह;

(ज) किसी कार्यस्थल के संबंध में, अंगणठित सेक्टर से ऐसा कोई उद्यम अभिप्रेत है, जो व्यष्टियों या स्वतंत्रोचित कर्मचारियों के स्वामित्वाधीन है और किसी प्रकार के माल के उत्पादन या विक्रय अथवा सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और जहां उद्यम, कर्मचारियों को नियोजित करता है, वहां ऐसे कर्मचारियों की संख्या दस से अल्प है।

3. लैंगिक उत्पीड़न का निवारण—(1) किसी भी मद्रिला का किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।

(2) जहां परिस्थितियों में निम्नलिखित परिस्थितियां, यदि वे लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य या आचरण के संबंध में होती हैं या विद्यमान हैं या उनसे संबद्ध हैं, लैंगिक उत्पीड़न की शक्ति में आ सकती हैं—

- (i) उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का विवक्षित या सुस्पष्ट बचन देना; या
- (ii) उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार की विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना; या
- (iii) उसके वर्तमान या भावी नियोजन की प्रास्थिति के बारे में विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना; या
- (iv) उसके कार्ड में हस्तक्षेप करना या उसके लिए अभिवास्तम्य या संतापकारी या प्रतिशूल कार्य वाताचरण मूचित करना; या
- (v) उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने की संभावना वाला अयमानजनक व्यवहार करना।

**अध्याय 2**

**आंतरिक परिवार समिति का गठन**

4. आंतरिक परिवार समिति का गठन—(1) किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक, लिखित आदेश द्वारा, "आंतरिक परिवार समिति" नामक एक समिति का गठन करेगा।

परन्तु यह कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक यूनिट, भिन्न-भिन्न स्थानों या खंड या उपखंड स्तर पर अचम्बित है, वहां आंतरिक समिति सभी प्रशासनिक यूनिटों या कार्यालयों में गठित की जाएगी।

(2) आंतरिक समिति, नियोजक द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्—

(क) एक पीठानीय अधिकारी, जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर ज्येष्ठ स्तर पर नियोजित महिला होगी परन्तु किसी ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी के उपलब्ध नहीं होने की दशा में, पीठानीय अधिकारी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों से नामनिर्देशित किया जाएगा।

परन्तु यह और कि कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों में ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं होने की दशा में, पीठानीय अधिकारी, उसी नियोजक या अन्य विभाग या संगठन के किसी अन्य कार्यस्थल से नामनिर्देशित किया जाएगा,

(ख) कर्मचारियों में से दो से अल्प दस सदस्य, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध हैं या जिनके पास सामाजिक कार्य में अनुभव है या विधिक ज्ञान है,

(ग) गैर-सरकारी संघटनों या संगमों में से ऐसा एक सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है या ऐसा कोई व्यक्ति, जो वैश्विक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित है;

परंतु इस प्रकार नामनिर्देशित कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होंगी।

(3) आंतरिक समिति का पीठामीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्षों में अधिकतम की एक अवधि के लिए पद धारण करेगा, जो नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(4) गैर-सरकारी संघटनों या संगमों में से नियुक्त किए गए सदस्य को आंतरिक समिति की कार्यवाहियां करने के लिए नियोजक द्वारा ऐसी फीसों या भत्तों, जो विहित किए जाएं, सहायता दिए जाएंगे।

(5) जहां आंतरिक समिति का पीठामीन अधिकारी या कोई सदस्य,—

(क) धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है; या

(ख) किसी अपराध के लिए मित्तदोष उद्घराया गया है या उसके विरुद्ध तत्काल प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध की कोई बात लिखित है; या

(ग) किसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लिखित है; या

(घ) अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो गया है,

यहां पर्याप्ततः, ऐसे पीठामीन अधिकारी या सदस्य को समिति में हटा दिया जाएगा और इस प्रकार मूजित रिक्ति या किसी अन्य आवश्यक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार तब नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा।

अध्याय 3

### स्थानीय परिवार समिति का गठन

5. जिला अधिकारी की अधिसूचना—समुचित सरकार, इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए किसी जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कलक्टर या उप कलक्टर को प्रत्येक जिले के लिए जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी।

6. स्थानीय परिवार समिति का गठन और उसकी अधिकारिता—(1) प्रत्येक जिला अधिकारी, संबंधित जिले में, ऐसे स्थापनों में जहां इस से कम कर्मचारी होने के कारण आंतरिक परिवार समिति गठित नहीं की गई है या यदि परिवार स्वयं नियोजक के विरुद्ध है, वैश्विक उत्पीड़न से परिचाद ग्रहण करने के लिए "स्थानीय परिवार समिति" नामक एक समिति का गठन करेगा।

(2) जिला अधिकारी, ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक, ताल्लुका और तहसील में और शहरी क्षेत्र में वार्डों या नगरपालिका में परिवार ग्रहण करने के लिए और सात दिन की अवधि के भीतर उसको संबंधित स्थानीय परिवार समिति को भेजने के लिए एक नोटल अधिकारी को पदाभिहित करेगा।

(3) स्थानीय परिवार समिति की अधिकारिता का विस्तार जिले के उन क्षेत्रों पर होगा, जहां वह गठित की गई है।

7. स्थानीय परिवार समिति की संरचना, सेवाधृति और अन्य निबंधन तथा शर्तें—(1) स्थानीय परिवार समिति, जिला अधिकारी द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों में मिलकर बनेगी, अर्थात्—

(क) अध्यक्ष, जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रख्यात और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिलाओं में से नामनिर्देशित की जाएगी;

(ख) एक सदस्य, जो जिले में ब्लॉक, ताल्लुका या तहसील या वार्ड या नगरपालिका में कार्यरत महिलाओं में से नामनिर्देशित की जाएगी;

(ग) दो सदस्य, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध ऐसे गैर-सरकारी संघटनों या संगमों में से या ऐसा व्यक्ति, जो वैश्विक उत्पीड़न से संबंधित ऐसे मुद्दों से सुपरिचित हो जो विहित किए जाएं नामनिर्देशित किए जाएंगे।

परंतु कम से कम एक नामनिर्देशितों के पास, अधिमानी रूप से विधि की पृष्ठभूमि या विधिक ज्ञान होना चाहिए।

परंतु यह और कि कम से कम एक नामनिर्देशित, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य विरुद्ध वर्गों या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्यसंबन्धक समुदाय की महिला होगी;

(घ) जिले में सामाजिक कल्याण या महिला और बाल विकास से संबंधित संबद्ध अधिकारी, सदस्य पदों होगा।

(2) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष से अधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा, जो बिना अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) जहाँ स्थानीय परिवार समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य,—

(क) धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है; या

(ख) किसी अपराध के लिए दोषमिद्ध रह गया गया है या उसके विरुद्ध तत्काल प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध की कोई जांच चलित है; या

(ग) किन्हीं अनुशासनिक कार्रवाहियों में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही चलित है; या

(घ) अपनी दायित्व का इस प्रकार दुरुपयोग करता है, जिससे उसका अपने पद पर बने रहना लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो गया है,

तब, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को समिति में हटा दिया जाएगा और इस प्रकार मुक्ति रिक्ति या किसी अनुष्ठीक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नामनिर्देशन में भरा जाएगा।

(4) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों में बिना सदस्य स्थानीय समिति की कार्यवाहियों करने के लिए ऐसी फीसों या भत्तों के लिए, जो विहित किए जाए, हकदार होंगे।

8. अनुदान और संपरीक्षा—(1) केंद्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् राज्य सरकार को धारा 7 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट फीसों या भत्तों के संदाय के लिए उपयोग किए जाने के लिए ऐसी धनराशियों के, जो केंद्रीय सरकार ठीक समझे, अनुदान दे सकेगी।

(2) राज्य सरकार, एक अभिकरण की स्थापना कर सकेगी और उस अभिकरण को उपधारा (1) के अधीन किए गए अनुदान अंतरित कर सकेगी।

(3) अभिकरण, बिना अधिकारी को ऐसी शक्तियों का, जो धारा 7 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट फीसों या भत्तों के संदाय के लिए उपेक्षित हों, संदाय करेगा।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट अभिकरण के लेखाओं को ऐसी रीति से रखा और संपरीक्षित किया जाएगा, जो राज्य के महालेखाकार के परामर्श में विहित की जाए और अभिकरण के लेखाओं को अभिरक्षा में रखने वाला व्यक्ति, ऐसी तारीख से पूर्व, जो विहित की जाए, राज्य सरकार को लेखाओं की संपरीक्षित प्रति, उस पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगा।

#### अध्याय 4

#### परिवाद

9. लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद—(1) कोई व्यक्ति महिला, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद, घटना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर और बृखलाबद्ध घटनाओं की दशा में अंतिम घटना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, लिखित में आंतरिक समिति को, यदि इस प्रकार गठित की गई है या यदि इस प्रकार गठित नहीं की गई है तो स्थानीय समिति को कर सकेगी।

परंतु जहाँ ऐसा परिवाद, लिखित में नहीं किया जा सकता है वहाँ, यथास्थिति, आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य, या स्थानीय समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य, महिला को लिखित में परिवाद करने के लिए सभी युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।

यदि यह और कि, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से तीन मास से अधिक की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियाँ ऐसी थीं, जिसने महिला को उस अवधि के भीतर परिवाद फाइल करने से निवारित किया था।

(2) जहाँ व्यक्ति महिला, अपनी शारीरिक या मानसिक असमर्थता या मृत्यु के कारण या अन्यथा परिवाद करने में असमर्थ है वहाँ उसका विधिक वारिस या ऐसा अन्य व्यक्ति जो विहित किया जाए, इस धारा के अधीन परिवाद कर सकेगा।

10. मुचुलह—(1) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, धारा 11 के अधीन जांच आरंभ करने से पूर्व और व्यक्ति महिला के अनुरोध पर, मुचुलह के माध्यम से उसके और प्रत्येकी के बीच माध्यम को नियंत्रित करने के उपाय कर सकेगी।

यदि कोई उचित समझौता, मुचुलह के आदेश के रूप में तैयार किया जाएगा।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन कोई समझौता हो गया है, वहाँ, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, इस प्रकार किए गए समझौते को अभिविधित करेगी और उसको नियोजक या बिना अधिकारी को ऐसी कार्यवाही, जो विचारिता में विनिर्दिष्ट की जाए, करने के लिए भेजेगी।

(3) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, उपधारा (2) के अधीन अधिनियमित किए गए समझौते की प्रतिकृति व्यक्तित्व और प्रत्यर्थी को उपलब्ध कराएगी।

(4) वहां उपधारा (1) के अधीन कोई समझौता हो जाता है, वहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा बोर्ड और जांच नहीं की जाएगी।

11. परिवार की जांच—(1) धारा 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, वहां प्रत्यर्थी कोई कर्मचारी है, वहां प्रत्यर्थी को वामू सेवा विभागों के उपबंधों के अनुसार और जहां ऐसे कोई नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, परिवार की जांच करने की कार्यवाही करेगी या किसी अल्प कर्मकार की दशा में, स्थानीय समिति, यदि प्रथमवृद्धा माधवा विद्यमान है, तो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 509 और जहां लागू हो, वहां उक्त संहिता के किन्हीं अन्य मुसयान उपबंधों के अधीन माधवा रजिस्टर करने के लिए सात दिन की अवधि के भीतर पुलिस को परिवार बेजेगी।

परंतु वहां व्यक्तित्व संहिता, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को यह सूचित करनी है कि धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन किए गए समझौते के किसी निबंधन या लॉ का प्रत्यर्थी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, वहां आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, परिवार की जांच करने के लिए कार्यवाही करेगी या पुलिस को परिवार बेजेगी।

परंतु यह और कि जहां दोनों पक्षकार कर्मचारी हैं, वहां पक्षकारों को, जांच के अंगूकम के दौरान, सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और निष्कर्ष की प्रति दोनों पक्षकारों को, समिति के समझ निष्कर्षों के विरुद्ध अभ्यावेदन करने में इनको समर्थ बनाने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 509 में किसी बात के होते हुए भी, ग्यावालय, जब प्रत्यर्थी को अपराध का सिद्धोप दहगाया जाता है, तब धारा 15 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी द्वारा व्यक्तित्व संहिता को ऐसी राशि के संदाय का, जो वह सम्पत्ति समझे, आदेन कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को वही शक्तिवा होगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी भाव का विचारण करते समय विहित प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल ग्यावालय में विहित हैं, अर्थात्:—

- (क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा उसकी सपथ पर परीक्षा करना;
- (ख) किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;
- (ग) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(4) उपधारा (1) के अधीन जांच, नब्बे दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

#### अध्याय 5

#### परिवार की जांच

12. जांच संबंधित रहने के दौरान कार्यवाही—(1) जांच संबंधित रहने के दौरान, व्यक्तित्व संहिता द्वारा किए गए विहित अपुरोध पर, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, नियोजक को निम्नलिखित सिफारिश कर सकेगी,—

- (क) व्यक्तित्व संहिता या प्रत्यर्थी का किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानान्तरण करना; या
- (ख) व्यक्तित्व संहिता को तीन मास तक की अवधि की छुट्टी अनुदान करना; या
- (ग) व्यक्तित्व संहिता को ऐसी अन्य राहत, जो विहित की जाए प्रदान करना।

(2) इस धारा के अधीन व्यक्तित्व संहिता को अनुदान छुट्टी ऐसी छुट्टी के अतिरिक्त होगी, जिसके लिए वह अन्यथा हकदार होती।

(3) उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर, नियोजक, उपधारा (1) के अधीन की गई सिफारिशों को स्वीकृत करेगा और ऐसे कार्यालयन की रिपोर्ट, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को प्रजमा करेगा।

13. जांच रिपोर्ट—(1) इस अधिनियम के अधीन जांच के पूरा होने पर, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी को जांच के पूरा होने की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध कराएगी और ऐसी रिपोर्ट संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित नहीं किया गया है वहां, वह, नियोजक और जिला अधिकारी को यह सिफारिश करेगी कि मामले में किसी कार्यवाही का किया जाना आवश्यक नहीं है।

(3) जहाँ, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित हो गया है, वहाँ, वह, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी से निम्नलिखित के लिए सिफारिश करेगी,—

(i) प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार कटाव के रूप में या जहाँ, ऐसे सेवा नियम नहीं बनाए गए हैं, वहाँ ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, नैतिक उत्पीड़न के लिए कार्रवाई करने;

(ii) प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्यर्थी के वेतन या मजदूरी में व्यथित महिला को या उसके विधिक कार्रगियों को संदल की जाने वाली ऐसी राशि की जो वह समुचित समझे, कटौती करने, जो धारा 15 के उपबंधों के अनुसार वह अवधारित करे।

परंतु यदि नियोजक प्रत्यर्थी के बलबल से अनुपस्थित रहने या नियोजन के समाप्त हो जाने के कारण उसके वेतन में ऐसी कटौती करने पर असमर्थ है तो वह प्रत्यर्थी को, व्यथित महिला को ऐसी राशि का संदाय करने का निदेश दे करेगा।

परंतु वह और कि यदि प्रत्यर्थी, खंड (ii) में निर्दिष्ट राशि का संदाय करने में असफल रहता है तो, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, संबंधित जिला अधिकारी को भू-राजस्व के बकाया के रूप में राशि की समूची के लिए आदेश व्यक्तित कर सकेगी।

(4) नियोजक या जिला अधिकारी, उसके द्वारा सिफारिश की शक्ति के साठ दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करेगा।

**14. मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवार और मिथ्या साक्ष्य के लिए खंड—**(1) जहाँ, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन द्वेषपूर्ण है या व्यथित महिला या परिवार करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने परिवार को मिथ्या जानते हुए किया है या व्यथित महिला या परिवार करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कूटचिंत या धामक दस्तावेज प्रेष किया है तो वह, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी महिला या व्यक्ति के विरुद्ध विनये, यथास्थिति, धारा 9 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन परिवार किया है, उसको लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहाँ ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहाँ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी।

परंतु किसी परिवार को मिट्ट करने या खर्चापन सबूत उपलब्ध कराने में केवल असमर्थता, इस धारा के अधीन परिवारों के विरुद्ध कार्रवाई आकर्षित नहीं करेगी।

परंतु यह और कि किसी कार्रवाई की सिफारिश किए जाने से पूर्व, विहित प्रक्रिया के अनुसार कोई जांच करने के पश्चात् परिवारों की ओर से द्वेषपूर्ण आशय मिट्ट किया जाएगा।

(2) जहाँ, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि जांच के दौरान किसी साक्षी ने मिथ्या साक्ष्य दिया है या कोई कूटचिंत या धामक दस्तावेज दिया है, वहाँ वह, यथास्थिति, साक्षी के नियोजक या जिला अधिकारी को, उक्त साक्षी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहाँ ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहाँ ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी।

**15. प्रतिभार का अवधारण—**धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (ii) के अधीन व्यथित महिला को संदल की जाने वाली राशियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी,—

(क) व्यथित महिला को कारित हुए मानसिक आघात, पीड़ा, यातना और भावात्मक कष्ट;

(ख) नैतिक उत्पीड़न की घटना के कारण वृत्ति के अवसर की हानि,

(ग) पीड़ित द्वारा शारीरिक या मनसिककिसीय उपचार के लिए उपगत चिकित्सा व्यय;

(घ) प्रत्यर्थी की आय और वित्तीय हैसियत;

(ङ) एकमुश्त या किल्लों में ऐसे संदाय की माध्यता।

**16. परिवार की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिषेध—**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 9 के अधीन किए गए परिवार की अंतर्वस्तुओं, व्यथित महिला, प्रत्यर्थी और साक्षियों को पहचान और पते, सुबह और जांच कार्यवाहियों से संबंधित किसी जानकारी, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिशों तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियोजक या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को, जहाँ की रीति में, प्रकाशित, प्रेष और साक्षियों को संसूचित या सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

परंतु इस अधिनियम के अधीन नैतिक उत्पीड़न को किसी पीड़ित को सुनोचक न्याय के संघ में जानकारी का, व्यथित महिला और साक्षियों के नाम, पते या पहचान या उनकी पहचान को प्रकाशित करने वाला किन्हीं अन्य विनियमों को रोक कर बना प्रकाश किया जा सकेगा।

**17. परिवार की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने के लिए शक्ति—**जहाँ कोई व्यक्ति, किन्हीं इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिवार, जांच या किन्हीं सिफारिशों या की जाने वाली कार्रवाई का संचालन करने या

उन पर कार्यवाही करने का कर्तव्य सौंपा गया है, धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वहाँ वह उक्त व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या वहाँ ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहाँ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, शक्ति के लिए वापी होगा।

18. अपील—(1) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन या धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (i) या खंड (ii) या धारा 14 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या धारा 17 के अधीन की गई सिफारिशों या ऐसी सिफारिशों को कार्यरिक्त न किए जाने से व्यक्ति कोई व्यक्ति, उक्त व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार न्यायालय या अधिकरण को अपील कर सकेगा या वहाँ ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, व्यक्ति व्यक्ति ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील, सिफारिशों के तब्बे दिन की अवधि के भीतर की जाएगी।

#### अध्याय 6

### नियोजक के कर्तव्य

19. नियोजक के कर्तव्य—प्रत्येक नियोजक,—

(क) कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराएगा, जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर सर्क में जाने वाले व्यक्तियों से सुरक्षा भी है;

(ख) लैंगिक उत्पीड़न के शान्तिक परिणाम; और धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन आंतरिक समिति का गठन करने वाले आदेश को कार्यस्थल में किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा;

(ग) अधिनियम के उपबंधों से कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर कार्यस्थल और जानकारी कार्यक्रम और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अधिविन्यय कार्यक्रम, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, आयोजित करेगा;

(घ) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को परिवाद पर कार्यवाही करने और जांच का संचालन करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा;

(ङ) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के समक्ष प्रत्यर्था और तालियों की हाजिरी मुनिचित करने में सहायता करेगा;

(च) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा, जो धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन किए गए परिवाद को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित हो;

(छ) महिला को, यदि वह भारतीय दंड संहिता (1860 का 49) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपराध के संबंध में कोई परिवाद फाइल करना, चयन करती है, सहायता प्रदान करेगा;

(ज) ऐसे कार्यस्थल में, जिसमें लैंगिक उत्पीड़न की घटना हुई थी, अपराधकर्ता के विरुद्ध या यदि व्यक्ति महिला ऐसी बाधा करती है, जहाँ अपराधकर्ता कोई कर्मचारी नहीं है, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्रवाई शरंभ कराएगा;

(झ) लैंगिक उत्पीड़न को सेवा नियमों के अधीन कटाचार मानेगा और ऐसे कटाचार के लिए कार्रवाई शरंभ करेगा;

(ञ) आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत किए जाने को मानिटर करेगा।

#### अध्याय 7

### जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियाँ

20. जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियाँ—जिला अधिकारी,—

(क) स्थानीय समिति द्वारा दी गई रिपोर्टों को समय से प्रस्तुत किए जाने को मानिटर करेगा;

(ख) ऐसे उपाय करेगा, जो लैंगिक उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जानकारी सृजित करने के लिए कर्मचारी संगठनों को लगाते के लिए आवश्यक हों।

#### अध्याय 8

### प्रकीर्ण

21. समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना—(1) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति प्रत्येक वर्ष के वर्ष में, ऐसे प्रकार में और उस समय पर, जो विहित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसको नियोजक तथा जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।



(2) जिला अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा।

22. नियोजक द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी का सम्मिलित किया जाना—नियोजक, अपनी रिपोर्ट में कूटलिपि किए गए मामलों, यदि कोई हों, और अपने संगठन की वार्षिक रिपोर्ट में इस अधिनियम के अधीन उनके निर्यातों की संख्या को सम्मिलित करेगा या जहां ऐसी रिपोर्ट तैयार किए जाने की अपेक्षा नहीं की गई है, वहां ऐसे मामलों की संख्या, यदि कोई हो, जिला अधिकारी को सूचित करेगा।

23. समुचित सरकार द्वारा कार्यन्वयन की गारंटी और आंकड़े रखा जाना—समुचित सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन की गारंटी करेगी और कार्यन्वयन पर वार्षिक उत्पीड़न के फाइल किए गए और निर्यात गए सभी मामलों की संख्या में संबंधित आंकड़े रखेगी।

24. समुचित सरकार द्वारा अधिनियम के प्रचार के लिए उपाय किया जाना—समुचित सरकार, विनीय और अन्य संस्थाओं की उपस्थिति के अधीन रहते हुए,—

(क) कार्यन्वयन पर महिलाओं के वार्षिक उत्पीड़न से संरक्षण के लिए उपबंध करने वाले इस अधिनियम के उपबंधों के बारे में जनता की समझ बढ़ाने के लिए सुसंगत सूचना, शिक्षा, संसूचना और प्रशिक्षण सामग्रियां विकसित कर सकेगी और जानकारी कार्यक्रम आयोजित कर सकेगी;

(ख) स्थानीय परिषद समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम निश्चित कर सकेगी।

25. सूचना मांगने और अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति—(1) समुचित सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा कारण जो कि जित में या कार्यन्वयन पर महिला कर्मचारियों के हित में आवश्यक है, निश्चित आदेश द्वारा,—

(क) किसी नियोजक या जिला अधिकारी से वार्षिक उत्पीड़न के संबंध में ऐसी विहित सूचना जो उसको अपेक्षित हो प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगी;

(ख) किसी ऐसे अधिकारी को वार्षिक उत्पीड़न के संबंध में अभिलेखों और कार्यस्थल का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो उसको ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक नियोजक और जिला अधिकारी, मांग किए जाने पर निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष, उसकी अभिरक्षा में ऐसी सभी सूचनाओं, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा, जो ऐसे निरीक्षण की विषय-वस्तु में संबंधित हैं।

26. अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के लिए शास्ति—(1) जहां कोई नियोजक,—

(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन एक आंतरिक समिति का गठन करने में असफल रहेगा;

(ख) धारा 13, धारा 14 और धारा 22 के अधीन कार्यवाई करने में अक्षम रहेगा; और

(ग) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियमों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उनके उल्लंघन को दुर्धरित करेगा,

वहां वह, ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध में पूर्ववर्ती सिद्धदोष ठहराए जाने के पश्चात् अभी अपराध को करता है और सिद्धदोष ठहराया जाता है तो वह,—

(1) उसी अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम दंड के अधीन रहते हुए, पूर्ववर्ती सिद्धदोष ठहराए जाने पर अधिकतम दंड में दुगुने दंड का शारी होगा।

परन्तु यदि तत्समय दुगुने किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराध के लिए, जिसके संबंध में अभियुक्त का अनुपालन किया जा रहा है, कोई उच्चतर दंड विहित है तो न्यायालय दंड देने समय उसका सम्यक् मूल्यांकन लेगा।

(ii) सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उसके कारबार या क्रियाकलाप को चलाने के लिए अपेक्षित, यथास्थिति, उसकी अनुज्ञप्ति के नष्ट किए जाने या रजिस्ट्रीकरण को समाप्त किए जाने या नवीकरण या अनुमोदन न किए जाने या रद्दकरण के लिए शारी होगा।

27. न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान—(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, व्यथित महिला या आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिचायित किए जाने के विषय न करेगा।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जब कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध अमान्य होगा।

28. अधिनियम को किसी अन्य विधि के अन्वीकरण से न होना— इस अधिनियम के उपरोक्त अन्वयमें उक्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होने, अथवा उनके अन्वीकरण से।

29. समुचित सरकार की विधायक बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को समाप्तित करने के लिए विधायक, सहायक एवं अधिव्यवस्था द्वारा बना सकती।

(2) विधायकता और पूर्वकारी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विधायक नियमित्विहित सभी वा किन्हीं विधायकों के संघ से उपबंध कर मचाने, यथा—

- (क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन सदस्यों को सदस्य की जाने वाली कीर्तियों वा बने,
- (ख) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन सदस्यों का आवर्तिर्गण,
- (ग) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन इच्छा और सदस्यों को संघ की जाने वाली कीर्तियों वा बने
- (घ) ऐसा व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन परिचायक कर सकेगा,
- (ङ) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जांच की गति,
- (च) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन जांच करने की शक्तियां,
- (छ) धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन मिश्रित की जाने वाली सज़ाएं,
- (ज) धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (1) के अधीन की जाने वाली कार्रवाई की गति,
- (झ) धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन की जाने वाली कार्रवाई की गति,
- (ञ) धारा 17 के अधीन की जाने वाली कार्रवाई करने की गति,
- (ट) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन प्रतीक की गति,
- (ड) धारा 19 के खंड (ग) के अधीन कर्मचारियों को मुद्राही बनाने के लिए कार्यवाहक, जालकारी कार्यक्रम और आर्थिक समिति के सदस्यों के लिए अधिव्यवस्था कार्यक्रम आयोजित करने की गति, और
- (ण) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन आर्थिक समिति और स्थानीय समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रत्येक और समय।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के परन्तु पञ्चाशीस सप्ताह के अन्तर्गत संघ के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती। यदि इस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अन्तर्गत के पूर्व दोनों तक इस नियम से कोई परिवर्तन करने के लिए महत्त्व हो जाए तो तत्परचात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही पञ्चाशीस होगा। यदि उक्त अवधान के एक साल के सदस्य संघ में जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्परचात् वह नियम विच्छेदक हो जाएगा। किन्तु नियम के अन्तर्गत अधिव्यवस्था या परिच्छेदक नियम के अन्तर्गत अधीन पहले से नहीं किसी बात की विधिवान्वय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

(4) किसी राज्य सरकार द्वारा धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन बनाया गया कोई नियम बनाए जाने के परन्तु पञ्चाशीस सप्ताह के अन्तर्गत संघ के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती। यदि इस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अन्तर्गत के पूर्व दोनों तक इस नियम से कोई परिवर्तन करने के लिए महत्त्व हो जाए तो तत्परचात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही पञ्चाशीस होगा। यदि उक्त अवधान के एक साल के सदस्य संघ में जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्परचात् वह नियम विच्छेदक हो जाएगा। किन्तु नियम के अन्तर्गत अधिव्यवस्था या परिच्छेदक नियम के अन्तर्गत अधीन पहले से नहीं किसी बात की विधिवान्वय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

30. कोटादायों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को समाप्त करने में कोई कोटादाय (जिसमें कोटी के या केन्द्रीय सरकार सहायक से प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकती, जो इस अधिनियम के उपबंधों से अन्वय न हो, जो इस अधिनियम को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो।

यद्यपि इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रावधानों से दो वर्षों की अवधि को समाप्त के परन्तु नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन विधायक तथा प्रत्येक आदेश किए जाने के परन्तु पञ्चाशीस सप्ताह के अन्तर्गत संघ के समक्ष रखा जाएगा।